राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

संचिका संख्या–पं०नि०–30–34/2020 587

प्रेषक,

दिनेश कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)
बिहार।

पटना, दिनांक 16 फरवरी, 2021

विषयः– पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों के स्थापना एवं संशोधित मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक 122 दिनांक 16.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है। उक्त पत्र में दिए गए निदेश में स्पष्ट है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों पर पुनः राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु इन सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मापदण्डों के अनुरूप वर्त्तमान मतदान केन्द्र नहीं है, तो वैसे मतदान केन्द्रों में संशोधन की आवश्यकता है जिसे प्रपत्र–1 में इस प्रकार के संशोधित मतदान केन्द्र को यथास्थान जोड़ते हुए दिनांक 28.01.2021 से 11.02.2021 तक प्रारूप प्रकाशन किया जाना था। उक्त प्रपत्र–1 के अभियुक्ति कॉलम में यह निश्चित रूप से अंकित किया जाना था कि यदि मतदान केन्द्र में कोई संशोधन नहीं है तो "पूर्व से अनुमोदित मतदान केन्द्र" और संशोधन है तो संशोधित अंकित किया जाना था।

2. **सहायक मतदान केन्द्र की स्थापना** :–पंचायत आम निर्वाचन, 2021 में मतदान ई.वी.एम. से कराये जाने है, जिसके कारण मूल मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 800–850 तक होने के बाद ही वहाँ सहायक मतदान केन्द्र का गठन किया जाय। मूल मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या मानक निर्धारित संख्या से अधिक होने पर सहायक मतदान केन्द्र में 'क' जोड़ कर किया जायगा। सहायक मतदान केन्द्र का निर्माण मूल मतदान केन्द्र भवन/परिसर में किया जाए तथा दोनों मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक परिवार के मतदाताओं को मूल और सहायक मतदान केन्द्रों पर विभाजित नहीं किया जाये।

3. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर गठित आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक मतदान केन्द्रों का गठन नये सिरे से मूल मतदान केन्द्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 800–850 होने के बाद ही किया जाना है। पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक मतदान केन्द्रों की मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. विदित है कि प्रखंड के अन्तर्गत **पंचायत का क्रमांक 1 से प्रारम्भ होकर बढते क्रम में अन्त तक संख्याक्ति किया जायगा**। विगत आम निर्वाचन, 2016 के अवसर पर प्रखंड के अन्तर्गत जो पंचायत के क्रम थे के अनुसार ही मतदान केन्द्रों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है।

5. मूल संशोधित मतदान केन्द्रों के साथ सहायक मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव सूची प्रपत्र–2 में तैयार कर आयोग के अनुमोदन हेतु भेजा जाय।

6. संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव के संबंध में किए जाने वाली कार्रवाई :–

1. सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंडाधीन पड़ने वाले संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची प्रपत्र–2 में तैयार करेंगे।

2. प्रपत्र–2 में संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची में मतदान केन्द्रों का क्रमांक प्रारूप मतदान केन्द्रों के सूची के अनुरूप पंचायतवार होगी।

3. प्रपत्र–2 में केवल संशोधित मतदान केन्द्रों को अंकित कर प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

4. प्रपत्र–2 में संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने के पश्चात् इसे पुनः जाँच कर ली जाए की कोई मतदान केन्द्र छूटा तो नहीं है।

7. संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के बेवसाईट पर अपलोड करना :–

(क) **प्रखंड स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई :–**

1. संशोधित मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव आयोग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु यूजर मेन्युअल संलग्न है और आयोग के बेवसाईट पर भी उपलब्ध है।
2. प्रखंड स्तर पर तैयार की गई प्रपत्र–2 से प्रत्येक संशोधित मतदान केन्द्र की प्रविष्ट की जायेगी और उसे 'Save' करते जाना है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक संशोधित मतदान केन्द्र की प्रविष्ट करना है। फलस्वरूप प्रपत्र–2 की प्रति स्वतः बन जायेगी।
3. अन्त में बेवसाईट पर तैयार प्रपत्र–2 का प्रिन्ट निकाल कर इसका मिलान प्रखंड स्तर पर तैयार प्रपत्र–2 से करेगें यादि कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कर लेगें।
4. यदि प्रपत्र–2 सही है तो उसे डाउनलोड करेगें और उसपर हस्ताक्षर कर अग्रसारण पत्र के साथ अपलोड करेंगे और जिला को बेवसाईट के माध्यम से भी भेज देगें।
5. प्रखंड स्तर पर रिकार्ड हेतु संशोधित मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव/कागजात को स्थाई अभिलेख के रूप में संधारित किया जाये, ताकि भविष्य में किसी विवादस्पद स्थिति में वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें।

(ख) **जिला स्तर से की जाने वाली कार्रवाई :–**

1. जिला स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भेजे गए सूची को डाउनलोड करेंगे।
2. उक्त सूची का समीक्षा करेंगे। समीक्षोपरांत यह पाया जाता है कि किसी प्रस्ताव में संशोधन की आवश्यकता है या कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करेंगे।
3. उक्त प्रस्ताव से सहमत होने की स्थिति में बेवसाईट से सभी प्रखंडों की प्रपत्र–2 को एक साथ निकाल कर हस्ताक्षर कर अग्रसारण पत्र के साथ उपरान्त इसे अपलोड किया जाना है। साथ ही 'बेवसाईट' के माध्यम से आयोग को अनुमोदन हेतु भेजना है।
4. जिला स्तर पर रिकार्ड हेतु संशोधित मतदान केन्द्रों एवं सहायक मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव/कागजात को स्थाई अभिलेख के रूप में संधारित किया जाये, ताकि भविष्य में किसी विवादस्पद स्थिति में वस्तुस्थिति से अवगत हो सके।
5. उक्त प्रस्ताव की पोस्ट प्रति अग्रसारण पत्र के साथ हार्ड प्रति भी ससमय आयोग को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) **आयोग स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई :–**

1. जिला से प्राप्त प्रपत्र–2 को आयोग स्तर पर डाउनलोड किया जायेगा।
2. उक्त प्रपत्र–2 में संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची की समीक्षा कर अनुमोदित किया जायेगा।
3. आयोग स्तर से अनुमोदित मतदान की सूची अपलोड किया जायेगा, जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर डाउनलोड कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
16/02/21
उप सचिव।

संख्या– पं०नि०–30–34/2020 587 पटना, दिनांक 16 फरवरी, 2021

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव

संख्या– पं०नि०–30–34/2020 587 पटना, दिनांक 16 फरवरी, 2021

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना हेतु प्रेषित।

16/02/21
उप सचिव